

गैल के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित गैल भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्राकृतिक गैस क्षेत्र की विकास यात्रा में कंपनी के योगदान की सराहना की। इस मौके पर कंपनी के सभी निदेशक, सीवीओ और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

गेल भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया

नई दिल्ली। भीकाजी कामा प्लेस स्थित गेल भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। गेल के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने प्राकृतिक गैस क्षेत्र की विकास यात्रा में कंपनी के योगदान की सराहना की और कहा गेल हमेशा अपने कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाता रहा है। उत्सव के दौरान कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशक, सीवीओ और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



NHAI, GAIL join hands to simplify infra expansion

Sign MoU to expedite crossing
permissions, resolve disputes

DHRUVAKSH SAHA
New Delhi, 20 August

State-owned GAIL (India) and the National Highway Authority of India (NHAI) have signed a memorandum of understanding (MoU) to simplify their infrastructure expansion works, as the country-wide networks of highways and gas pipelines often end up getting in each other's way amid complex permission and transactional procedures.

The agreement between the highways authority and the public-sector undertaking (PSU), signed on August 3, is aimed at expediting crossing permissions, standardising financial procedures, and establishing dispute-resolution mechanisms, *Business Standard* has learnt.

The agreement will be valid until 2026, and can be extended based on a mutual agreement between the two entities.


For easier crossing permissions and clearances, both NHAI and GAIL (India) will be bound to issue no-objection certificates (NOC) within 60 days if one of them is building new assets over an area where the other entity already has projects.

Moreover, if no communication is made objecting to the proposed work within 60 days, the NOC will be deemed issued by default.

NHAI will also be expected not to levy charges on GAIL (India) or its agencies for the laying of new natural gas, liquefied petroleum gas, and other hydrocarbon gas pipelines, which will be built along or across existing national highways. Similarly, GAIL will not charge NHAI for building new highways over its existing pipelines.

Under the agreement, NHAI, when working on expansion or new highways, will bear the cost of building protective portals or shifting gas pipelines if the pipelines have been laid before the official declaration of the highway.

Vice versa, if the pipelines were laid after the declaration of a highway stretch, the cost of such a work will be borne by GAIL. The company is also expected to obtain insurance



- Move to expedite crossing permissions, standardise financial procedures, and establish dispute-resolution mechanisms
- Both NHAI and GAIL to issue NOC within 60 days if one of them is building new assets over an overlapping area
- If no communication is made objecting to the proposed works within 60 days, the NoC will be deemed issued by default

cover from NHAI before allowing the construction of national highways over pipelines.

NHAI owns a national highway network of more than 144,000 km across the country. GAIL (India) owns and operates a network of around 14,617 km of natural gas pipelines with a capacity of 206 mmscmd (million metric standard cubic metres per day) spread across 19 states and three Union Territories.

It is also working concurrently to increase the spread through multiple projects, such as the ₹51,000 crore Urja Ganga Pipeline covering 2,540 km in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, and Odisha which will cater to millions of households.

GAIL's LNG infrastructure is being strengthened to bring LNG from key ports in western India to the energy-starved eastern regions.

The port of Dahej in Gujarat is the largest single-location LNG storage and regasification terminal in the country.

(With inputs from
Subhayan Chakraborty)

एकजुट हुई एनएचएआई, गेल

धुवाक्ष साहा
नई दिल्ली, 20 अगस्त

बुनियादी ढांचे के विस्तार की प्रक्रिया सरल बनाने की कवायद

सरकार के उपक्रमों गेल इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपने बुनियादी ढांचे विस्तार के कार्यों को सरल करने के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों का देश भर में गैस पाइपलाइन और राजमार्गों का नेटवर्क है। जटिल अनुमति और लेन-देन की प्रक्रियाओं के कारण ये दोनों अक्सर एक दूसरे के कार्यों में व्यवधान की वजह बन जाते हैं।

राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) के बीच यह अलग तरह का समझौता है, जिस पर 3 अगस्त को हस्ताक्षर हुए हैं। इसका मकसद क्रॉसिंग संबंधी अनुमति में तेजी लाना, वित्तीय प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना और विवाद समाधान व्यवस्था बनाना है।

यह समझौता 2026 तक मान्य होगा और राजमार्ग प्राधिकरण व गेल के बीच आपसी समझौते के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

क्रॉसिंग संबंधी अनुमतियों व मंजूरीयों को सरल करने के लिए एनएचएआई और गेल 60 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेंगी, अगर इनमें से कोई एक उस इलाके में



अपनी संपत्ति बनाता है, जहां दूसरी इकाई की पहले से परियोजना है।

अगर प्रस्तावित काम पर आपत्ति को लेकर कोई बातचीत 60 दिन के भीतर नहीं होती है तो स्वतः एनओसी जारी हुआ मान लिया जाएगा।

साथ ही एनएचएआई से यह भी उम्मीद की जाएगी कि वह गेल या उसकी एजेंसियों पर नई प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और अन्य हाइड्रोकार्बन गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर कोई शुल्क नहीं लगाएगा, जो मौजूदा राजमार्गों के

आसपास बनाई जाएंगी। इसी तरह से गेल अपनी पाइपलाइन से गुजरने वाले नए बनने वाले राजमार्ग को लेकर एनएचएआई पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा।

समझौते के तहत एनएचएआई जब नए राजमार्ग या विस्तार पर काम करेगा तो उसे पाइपलाइन के रक्षात्मक उपाय करने या गैस पाइपलाइन को हटाने पर आने वाली लागत का बोझ उठाएगा, अगर पहले से पाइपलाइन मौजूद है। यह काम राजमार्ग की आधिकारिक घोषणा के पहले किया जाएगा।

इसी तरह से अगर कोई पाइपलाइन राजमार्ग खंड से होकर गुजरती है तो उस काम पर आने वाले खर्च का वहन गेल करेगी। कंपनी से यह भी उम्मीद की जाएगी कि वह पाइपलाइन पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की अनुमति के पहले एनएचएआई से बीमा कवर हासिल करे।

एनएचएआई का देश में 1,44,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। गेल देश के 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 14,617 किलोमीटर का

■ राजमार्ग प्राधिकरण और गेल के बीच यह अलग तरह का समझौता है, जिस पर 3 अगस्त को हस्ताक्षर हुए

■ इसका मकसद क्रॉसिंग संबंधी अनुमति में तेजी लाना, वित्तीय प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना और विवाद समाधान व्यवस्था बनाना है

■ एनएचएआई का 1,44,000 किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है और गेल 14,617 किमी का पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन करती है

■ पहले से दूसरी इकाई की संपत्ति होने पर क्रॉसिंग संबंधी अनुमतियों व मंजूरीयों को सरल करने के लिए एनएचएआई और गेल 60 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगी

पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन करती है, जिसकी क्षमता 206 एमएमएससीएमडी (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन) है। साथ ही कंपनी कई परियोजनाओं के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ा रही है, जिसमें 51,000 करोड़ रुपये की ऊर्जा गंगा पाइपलाइन शामिल है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 2,540 किलोमीटर क्षेत्र में होगी और लाखों परिवारों तक पहुंचेगी।

पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों से गेल का एलएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा की कमी झेल रहे पूर्वी क्षेत्रों तक इसे पहुंचाया जा सके। गुजरात के दहेज में स्थित बंदरगाह एलएनजी भंडारण का सबसे बड़ा केंद्र और रीगैसीफिकेशन टर्मिनल है। हालांकि ओडिशा का धामरा पोर्ट 50 लाख टन एलएनजी के सालाना परिचालन के लिए विकसित किया जा रहा है।

अफसरशाही की वजह से होने वाली देरी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार विभागों के बीच मंजूरी की प्रक्रिया को सरल करने की कवायद कर रहा है। इस साल की शुरुआत में एनएचएआई और रेल मंत्रालय के बीच जमीन हस्तांतरण सरल करने के लिए प्रस्ताव आया था।

(साथ में शुभायन चक्रवर्ती)



राकेश कुमार जैन को मिला प्रतिष्ठित अवार्ड

नई दिल्ली। गेल
(इंडिया) लिमिटेड
के निदेशक (वित्त)
राकेश कुमार जैन
को सीएमओ एशिया
द्वारा प्रतिष्ठित
"सीएफओ



लीडरशिप अवार्ड" से सम्मानित किया
गया। यह पुरस्कार सिंगापुर में
आयोजित 14वें संस्करण में प्रदान
किया गया। जैन 1992 में प्रबंधन
प्रशिक्षु के रूप में गेल से जुड़े और
कंपनी के विकास पथ का हिस्सा रहे हैं।